



# जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

## निविदा प्रपत्र

जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा, भारत सरकार के निर्देशानुसार जारी विभिन्न चैलेंजेंस जैसे स्ट्रीट फॉर प्यूपल, साइकिल फॉर चेंज, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, ईट राइट चैलेंज, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आदि में किये गए कार्य, नागरिकों की सहभागिता इत्यादी को दर्शाने के लिए वीडियो बनाकर उन्हें भारत शासन स्तर पर भेजने की आवश्यकता होती है। इस कार्य हेतु ई-निविदा के माध्यम से ऑन लाईन दरें आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का नाम	Selection of agency for creating video for Jabalpur Smart City Limited.
अमानत राशि	रु. 5,000/-
टेण्डर डाक्यूमेंट लागत	रु. 2,000/-

**नोट - टेण्डर डाक्यूमेंट क्रय करे एवं बिट प्रस्तुत करने की दिनांक ई-टेण्डरिंग पोर्टल [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर देखी जा सकती है। निविदा प्रक्रिया हेतु दिनांक निम्नानुसार है:-**

निविदा प्रपत्र क्रय कर जमा करने की अंतिम तिथि	09.03.2022
निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	10.03.2022

### 1. टेक्नीकल क्वालिफिकेशन

**निविदाकार को निम्नलिखित योग्यताधारी होना आवश्यक है :-**

1. ज्वाइंट वेन्चर मान्य नहीं होगा।
2. निविदाकार का पेन नंबर होना आवश्यक है।
3. निविदाकार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
4. निविदाकार को समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है इसके प्रमाण स्वरूप निविदाकार को कम से कम 3 समान कार्य का कार्यादेश प्रस्तुत करना होगा जो किसी भी शासकीय या निगम का हो सकता है।
5. निविदाकार को समान कार्य करने का विगत तीन वर्षों का Average Annual turnover 2.50 लाख तक का होना आवश्यक है। C.A. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।

7. निविदाकार कभी किसी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्ट या कार्य से हटाया नहीं गया हो- इसका 100 रु. के स्टॉप पर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
8. समस्त प्रपत्र स्व हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत करें।

## **2. अनुबंध की अवधि :-**

अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक की रहेगी।

## **3. प्रस्ताव की वैधता:-**

वर्क आर्डर दिए जाने की तिथी से 12 माह तक की अवधि तक के लिये प्रस्ताव वैध रहेगा। निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास सुरक्षित है। कार्य की आवश्यकतानुसार एवं संतोषजनक स्थिति में कार्य को आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

## **4. अनुबंध की समाप्ति-**

स्वीकृत निविदाकार द्वारा किए जा रहे कार्य का समय -समय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जावेगा। यदि निविदाकार द्वारा गुणवत्ता पूर्वक सामग्री/कार्य नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को यह अधिकार होगा की वह निविदाकार को 7 दिवस का नोटिस देकर एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात अनुबंध समाप्त कर देंगे तथा स्वीकृत दर पर अन्य संस्था/फर्म/व्यक्ति से कार्य करवाया जा सकेगा जिसमें संबंधित निविदाकार को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

## **5. विवाद समाधान प्रक्रिया :-**

इस अनुबंध की संरचना एवं व्याख्या भारतीय कानून द्वारा शासित है। इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाला किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र जबलपुर, म.प्र. रहेगा।

## // निविदा की प्रमुख शर्तें //

1. निविदाकार से आशा की जाती है कि वे टेंडर डाक्यूमेंट एवं अनुबंध में लिखित शर्तों का गहन अध्ययन के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली निविदाकार के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा टेण्डर की समस्त शर्तों का अध्ययन कर समझ लिया गया है।
3. टेण्डर प्रस्तुत करने के पश्चात निविदाकार की कोई भी आपत्ति आदि पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. वीडियो तैयार करने हेतु लगने वाली सामग्री (कैमरा, ड्रोन इत्यादी) निविदाकार को स्वयं के वहन करना होगा।
5. वीडियो तैयार करने के पश्चात वीडियो एवं फोटोग्राफ की उसकी उच्च गुणवत्ता की सॉफ्ट कॉपी निविदाकार को स्वयं के व्यय से तैयार कर cd/dvd के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
6. वीडियो किस प्रकार का होगा उसका उद्घारण निम्नानुसार हो सकता है –
  - a. <https://www.youtube.com/watch?v=l5-xpU5jJaA&t=3s>
  - b. <https://www.youtube.com/watch?v=UcsLeCZb75k>
7. बनाये गए वीडियो को जबलपुर स्मार्ट सिटी से अनुमोदित कराना होगा।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को संपूर्ण टेण्डर अथवा टेण्डर के किसी भाग/सामग्री/कार्य को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है अस्वीकृति का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
9. टेण्डर में ऑन लाईन प्राप्त दरों में से पूर्ण या आंशिक दरें स्वीकार करने अथवा सम्पूर्ण टेण्डर की दरें स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को होगा। साथ अनिवार्य स्थिति में ही इम्पेनल एजेंसीज को कार्य की उपयोगिता के आधार पर कार्य देने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यपालन जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को होगा।
10. टेण्डर में उल्लेखित कार्य के विवरण में परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को रहेगा तथा निविदाकार को विवरण अनुसार ही दर प्रस्तुत करना होगी।
11. कार्य के भुगतान के समय निर्देशानुसार वांछित आयकर, वाणिज्यकर, संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नियमानुसार बिल में से आयकर तथा ऐसे कर जिनका कटौती किया जाना आवश्यक है उनका कटौती उपरांत राशि का भुगतान किया जायेगा। निविदाकार को समस्त कर, शुल्क आदि का आकलन कर दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत करना होगी। स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. टेण्डर माध्यम से कार्य की मात्रा के मान से भाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवश्यकतानुसार एक मुश्त अथवा खण्ड-खण्ड में कार्यादेश दिया जा सकता है। कार्यादेश अनुसार कार्य किया जाना होगा, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
14. अमानत राशि/परफारमेंस गारंटी (पी.जी.) राशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही नियमानुसार वापस की जावेगी। जमा अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।
15. निविदादाता को टेण्डर स्वीकार करने की सूचना मिलने पर निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र संपादित करना होगा। अनुबंध पत्र पर होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि

- मे अनुबंध संपादित नहीं करने पर निविदा निरस्त की जाकर अन्य निविदाकार से कार्य कराया जा सकेगा, किन्तु ऐसी स्थिति में अंतर की राशि संबंधित न्यूनतम निविदाकार से वसूल की जावेगी।
16. अनुबंध भी निविदा प्रपत्र की शर्तों का एक भाग है अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का पूर्णरूप से पालन करना आवश्यक होगा।
  17. निविदादाता को अनुबंध में हस्ताक्षर उपरांत कार्यादेश में उल्लेखित निर्धारित अवधि में कार्य करना आवश्यक होगा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अवधि वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का होगा।
  18. दिये गये कार्य को न्यूनतम निविदाकार द्वारा पूरा करने में सक्षम नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य एजेंसी से उक्त कार्य करवाया जा सकेगा, किंतु ऐसी स्थिति में अधिक व्यय होने पर अंतर की राशि संबंधित न्यूनतम निविदादाता की जमा अमानत राशि से क्षतिपूर्ति राशि के रूप में जब्त की जा सकेगी।
  19. न्यूनतम निविदाकार को शासन के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
  20. न्यूनतम निविदादाता को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा/कर्मचारी द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा यदि दिये गये आदेश/निर्देश का उल्लंघन करने पर या निविदा/अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा टेण्डर निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदादाता की जमा सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। इस संबंध में निविदादाता को आपत्ति करने या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
  21. कार्यपालन जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि संबंधित न्यूनतम निविदाकार (फर्म) को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा ब्लोक लिस्टेड किया गया है तो कार्यपालन जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा जिस पर संबंधित को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने या क्षति पूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
  22. निविदाकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उच्च गुणवत्ता वाला कार्य करें। किसी भी दशा में निम्नतम गुणवत्ता का कार्य स्वीकर नहीं होगा। ऐसी दशा में किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
  23. निविदादाता को किसी भी प्रकार का एडवान्स भुगतान नहीं किया जायेगा।
  24. स्वीकृत दर के अनुसार ही भुगतान किया जावेगा, स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा नहीं किया जायेगा।
  25. कार्य में 20 प्रतिशत की कमी या अधिक आवश्यकतानुसार की जा सकती है, अर्थात् कार्य में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
  26. कार्य का भुगतान दिये गये कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जायेगा।
  27. चयनित वेंडर को अनुबंध राशि का 3% PBG के रूप में जमा करना होगा तथा कार्य किये जाने के पश्चात भुगतान के समय 7% सुरक्षा निधि के रूप में लिया जायेगा।
  28. जिस किसी निविदाकार की दर जिस आइटम के लिए न्यूनतम होगी उस कार्य का कार्यादेश ही न्यूनतम दर के निविदाकार को दिया जाएगा।

**वित्तीय प्रस्ताव (Price Bid) – Online Only**

क्र.	कार्य का नाम	यूनिट	Rate per unit
1	30 सेकंड तक के वीडियो (voice ओवर के साथ)	1	
2	0 से 1 मिनट तक का वीडियो (voice ओवर के साथ)	1	
3	0 से 2 मिनट तक का वीडियो (voice ओवर के साथ)	1	
4	0 से 3 मिनट तक का वीडियो (voice ओवर के साथ)	1	
5	0 से 4 मिनट तक का वीडियो (voice ओवर के साथ)	1	
6	0 से 5 मिनट तक का वीडियो (voice ओवर के साथ)	1	